



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, भाक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:-1542-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12-50-पै०एवंआर०/08

दिनांक: 11 जुलाई, 2012

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, (औ०स०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

पौचवा तल,

शक्ति भवन विस्तार

लखनऊ।

विषय:- दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त, उ०प्र० पाकालि/वितरण निगमों के सी०पी०एफ० स्कीम से आवरित कार्मिकों जिन्हें का०ज्ञा० सं०: 5313 पै० एवं आर०-28/पा०का०लि०/10 दि० 13.12.2010 द्वारा 'द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट-1972' से आवरित किया गया है के सेवानिवृत्त एवं दिवंगत होने की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के दायित्व का निर्वहन किये जाने हेतु, दिशा निर्देश।

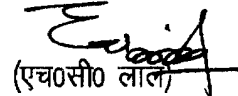
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1353 औ०स०/2012-आई०एल०सी०-08/2012 दि० 11.05.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा कारपोरेशन के पत्र सं०-1027-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12, दि० 05.05.12 के पैरा 5 एवं 6 में उल्लिखित ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान की दी जाने वाली सूचना का निर्धारित प्रारूप का प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत विषय पर कोई निर्धारित प्रारूप नहीं बनाया गया है अपितु सम्बन्धित खण्ड/इकाई/कार्यालय द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई ग्रेच्युटी का विवरण स्वयं के स्तर पर बनाये गये प्रारूप में दिया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वांछित अपेक्षाओं/विवरणों का समावेश करते हुये तदनुसार निर्धारित प्रपत्र अपने स्तर से भी जारी करा सकते हैं।

भवदीय,



(एच०सी० लाल)

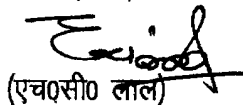
अनु सचिव (पै०एवंआर०)

संख्या :1542(1)पै०एवंआर०-28/पाकालि/12 तददिनांक:- 11-07-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सचिव ट्रस्ट, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, (वेब) कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन की वेबसाइट में WWW.UPPCL.Org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(एच०सी० लाल)

अनु सचिव (पै०एवंआर०)